अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–123/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा नुड़ाई थाना संख्या–285 अनाबादी खाता संख्या–219 दाग संख्या–1106 कुल खतियानी रकबा–02 बीधा 18 कट्ठा 02 धूर किस्म–अनाबादी पोखर की राजस्व पंजी–।। के भाग संख्या–1 पेज संख्या–276 में सुभान मंडल ग्राम–नुड़ाई के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के दर्ज है। **संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा अभिलिखित मंतव्य समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि की राजस्व पंजी–।। में प्रविष्टि की कोई विवरणी/आधार साक्ष्य अंकित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि पर गलत/फर्जी दस्तावेजों की आड़ में रैयती दावा करने का कुप्रयास है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक के द्वारा लोकहित एंव सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एंव सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है।** इस कार्यालय के ज्ञापांक 532/रा0 दिनांक 18.07.2016 से निर्गत प्रथम नोटिश, जिसकी प्राप्ति अभिलेखबद्व है, तदुपरान्त पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पंजी–।। रैयत को प्रेषित द्वितीय नोटिश के प्रत्युत्तर मे पंजी–।। रैयत के वंशज मईजुद्दीन मंडल एंव अन्य साकिन–नुड़ाई द्वारा प्रश्नगत दाग के पोखर पर स्वदावे के समर्थन में अनिबंधित सादा तत्कालीन जमींदार द्वारा निर्गत कथित हुक्मनामा प्रस्तुत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त विपक्षी के वंशजों के द्वारा तत्कालीन जमींदार अथवा जमींदारी विलयन के उपरान्त राज्य सरकार को भुगतेय वर्षवार भू–लगान रसीद की कोई प्रति समर्पित नहीं किया गया है। यधपि यह स्थापित है कि भू–लगान रसीद किसी भूमि पर स्वत्व के दावे का ठोस दस्तावेज के रूप में मान्य एंव स्वीकार्य नहीं है। जहॉ तक पंजी–।। रैयतों के वंशजों द्वारा समर्पित अनिबंधित हुक्मनामा की वैधता का प्रश्न है तो बिहार सरकार, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 914/रा0 पटना दिनांक 09.12.1998 के माध्यम से यह स्पष्ट निदेश प्राप्त है कि सादा हुक्मनामा अर्थात एन्टीडेटेड अनिबंधित हुक्मनामों के आधार पर जमाबंदी खोलना गलत है। ऐसे अपुष्ट आधार पर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के खोले गए जमाबंदी पंजी–।। में ऐसे सम्मिलित जमाबंदी का पता लगाकर ऐसे जमाबंदियों को जॉचोपरान्त रद्द करते हुए धारा–4 (H) के अर्न्तगत सरकार को प्रस्ताव भेजी जाय। विपक्षी द्वारा समर्पित दस्तावेजो एंव संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बिना आधार एंव स्वत्व दस्तावेज के बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से राजस्व पंजी–।। में विपक्षी के नाम यह जमाबंदी कायम की गई है, जिसका सरकार एंव लोकहित में विलोपन अत्यावश्यक है। **अतः मौजा नुड़ाई थाना संख्या–285 अनाबादी खाता संख्या–219 दाग संख्या–1106 कुल खतियानी रकबा–02 बीधा 18 कट्ठा 02 धूर किस्म–अनाबादी पोखर की राजस्व पंजी–।। के भाग संख्या–1 पेज संख्या–276 में सुभान मंडल ग्राम–नुड़ाई के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें।**

21/X/21

अंचल अधिकारी
महेशपुर

21/X/21

अंचल अधिकारी
महेशपुर

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2021.10.22 18:54:43 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:34f3:3b2:3f57:ff96

Scanned with CamScanner